

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली
कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली
कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता : श्री कृष्ण भारद्वाज पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10941 -जी (बी) दिनांक 24/07/2023
अपील कम्प संख्या : 52 दिनांक 16/08/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-प्रथम (मुख्यालय), तिहाड़ के द्वारा प्रदान किये गये उत्तर दिनांक 07/08/2023 और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान में किए गए आवेदन दिनांक 24/07/2023 के साथ आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अनुसार रु 10/- के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। अतः जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-प्रथम (कारागार मुख्यालय) के द्वारा प्रदान किए गए उत्तर दिनांक 07/08/2023 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।


उप महानिरिक्षक कारागार/
प्रथम अपीलीय अधिकारी ०/८

श्री कृष्ण भारद्वाज पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा

F10(3476489)/**10941-G(B)**/CJ/Legal/2023/SS 995/6/25-Dated: 06/09/2023
26

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक- प्रथम (कारागार मुख्यालय), तिहाड़, नई दिल्ली-110064.